

(56) 58

न्यायालय श्रीमान समव राजस्व मण्डल गवालियर खंडपीठ रीवा संभाग  
निगरानी २५१-III-१५ जिला रीवा म०प्र०।

95  
२३-१-१५



02/201 —

1. धैनद्र कुमार मिश्रा तनय स्व०श्री माखन लाल मिश्रा
2. पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा तनय स्व०माखन लाल मिश्रा
3. निमिला मिश्रा पति स्व०श्री माखन लाल मिश्रा  
सभी निवासी ग्राम धनवरिया, पौ०पुरवा, थाना व तहसील  
सेमरिया, जिला रीवा म०प्र०

— निगरानीकतागण

बनाम

सुन्दर लाल मिश्रा तनस स्व०हीर लाल मिश्रा निवासी ग्राम  
धनवरिया, पौ०पुरवा, थाना व तहसील सेमरिया, जिला रीवा  
म०प्र०

— गैर निगरानीकतागण

निगरानी बिल्ड आदेशी नायब तहसीलदार तहसील  
सेमरिया बृत्त शाहपुर मामला क्र. ०३/अ५/१३-१४  
आदेशी दिनांक ०१-०८-२०१४

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भ०रा०स०

क्रमांक ४३८९  
रजिस्टरेट वर्कर आज  
दि. १५/८/१४ को प्राप्त

गोटे  
राजस्व विभाग ग्र. न्यायालय

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैः-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेशी दिनांक १.८.२०१४ बिप्रक्रिया नियमों व तथ्यों के बिपरीत होने से अपास्त योग्य है।
2. यह कि, भूमि नं. २४८/१/ख/रकवा०.२४३ हे. निगरानीकतागण

(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवाति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R २५१ | ३० | ८ (ख) प्र० ४३६४८८८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभावकों के हस्ताक्षर
०८/८/१९	<p>इस प्रकरण में दिनांक १५/७/१८ को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अत्तलोक्यन किया। यह निगरानी नोट करते हुए समीक्षा करने के प्रकरण क्रमांक ०३/३०५/३०५ में पारित आदेश दिनांक ०१/०८/१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला .....ख.वा..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २७/१८/१९ को कलेक्टर जिला .....ख.वा..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(ख.)</p>	<p>✓ ६/८/१९ सदस्य</p>